पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पश्चिम बंगाल/STATE LEVEL BANKER'S COMMITTEE, WEST BENGAL

ईमेल: slbc.westbengal@pnb.co.in
दूरभाष: 033-2262-7365, 033-2231-1716

युनाइटेड टावर, आठवां तल
11 हेमंत बासु सरणी
कोलकाता - 700001

संदर्भ सं:एसएलबीसी /प.बं/160वीं एसएलबीसी बैठक/ /2023

दिनांक: 26.06.2023

1)एसएलबीसी,पश्चिम बंगाल,के सदस्य बैंक
2)पश्चिम बंगाल के अग्रणी जिला प्रबंधक
3)पश्चिम बंगाल सरकार के लाइन विभाग

विषय : 21.06.2023 को आयोजित 160वीं ,एसएलबीसी,पश्चिम बंगाल बैठक की कार्यवाही

मार्च 2023 तिमाही की विभिन्न बैंकिंग मापदंडों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 21.06.2023 को पश्चिम बंगाल राज्य के 160 वीं एसएलबीसी बैठक ललित ग्रेट इस्टर्न ,कोलकाता में आयोजित की गई| बैठक के प्रारंभ में श्री शिव शंकर सिंह ,महाप्रबंधक ,एसएलबीसी ने बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी विशिष्ट अतिथियों को हार्दिक धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया | श्री फ़िरोज़ हसनैन ,मुख्य महाप्रबंधक – पंजाब नैशनल बैंक एवं संयोजक ,एसएलबीसी ,पश्चिम बंगाल ,ने बैठक में शामिल सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया |

बैठक में माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय प्रधान मुख्य सलाहकार डॉ अमित मित्रा, श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य, माननीय राज्य मंत्री, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री प्रदीप कुमार मजुमदार, माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ.मनोज पंत, माननीय एसीएस, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार तथा श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति (सूची संलग्न) रही |

पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल ने अपने मुख्य संबोधन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न मापदंडों पर बैंकों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जिसमें मुख्य उपलब्धि के तौर पर मार्च 2023 तिमाही तक 4.68 लाख करोड़ रुपये के नए ऋण के वितरण का विशेष उल्लेख किया गया, वार्षिक ऋण योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य का 136.04% तथा कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र के तहत वार्षिक लक्ष्य का क्रमशः 82.74% और 115.04% की सीमा तक की प्रतिशत उपलब्धि, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत उपलब्धि 94.24% और गैर प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 242.93% की वृद्धि हुई, सीडी अनुपात 31.03.2022 को 61.76% से बढ़कर 31.03.2023 को 63.10% हो गया, के.सी.सी. के अंतर्गत 27.29 लाख से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट तथा पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यू.बी.एस.एस.सी.) योजना के तहत 48253 ऋण स्वीकृत किए गए। उन्होने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 77.33 लाख के नए नामांकन के साथ कुल 3.33 करोड़ लाभार्थियों को सफलतापूर्वक जन सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया गया। उन्होने वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और संतोषजनक प्रदर्शन के लिए प्रत्येक मद में संचयी प्रयास करने हेतु सभी सदस्य बैंकों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार, डॉ. अमित मित्रा ने मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं पर बिन्दुवार चर्चा प्रारंभ की | इस दौरान

पंजाब नैशनल बैंक SLBC WEST BENGAL

उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ, विचार–विमर्श से प्राप्त टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं -

1. <u>एम.एस.एम.ई</u>

डॉ. ए. मित्रा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.26 लाख करोड़ रुपये के कुल संवितरण के साथ एमएसएमई क्षेत्र में संवितरण के एसीपी लक्ष्य को पार करने में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बैंकरों की सराहना की, और उन्हें बधाई दी। उन्होंने राज्य में रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पर उक्त संवितरण के प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसएलबीसी और संबंधित विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले से ही निर्धारित लक्ष्य 1.19 लाख करोड़ रुपये में से एमएसएमई में संवितरण के लिए एसीपी लक्ष्य में बढ़ोत्तरी के लिए तर्कसंगत संशोधन हेतु सुझाव दिए। इसके जवाब में, डॉ. एम. पंत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 1.45 लाख करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया। श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य की सहमति के साथ ही सभा में सर्वसम्मति से संशोधित लक्ष्य को स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमएसएमई एसीपी लक्ष्य को संशोधित कर दिया गया है।

बीजीवीबी के अध्यक्ष श्री जोशेप लॉरेंस टोबियास ने सभा को सूचित किया कि पंजीकृत एमएसएमई उद्यमियों की संख्या वास्तविक एमएसएमई उद्यमियों की तुलना में कम दर्ज की गई है, क्योंकि इसका पंजीकरण उद्यमी मित्र पोर्टल में नहीं किया गया है। उन्होंने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और बैंकरों से अनुरोध किया कि वे आवेदनों को प्रायोजित करने और प्राप्त करने से पहले उद्यमियों को पंजीकृत कराएं। श्री मानस धर, विशेष सचिव और निदेशक, संस्थागत वित्त, प.बं.(सरकार) ने सूचित किया कि आरबीआई परिपत्र के अनुसार एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है, और बैंकरों से पंजीकृत कराने में उधारकर्ताओं की मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि डीआईसी ने इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले पश्चिम बंगाल भविष्यत क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी उधारकर्ताओं को उद्यमी मित्र पोर्टल में पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया है।

श्री अतुल कुमार गोयल ने सभा को सूचित किया कि एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऋण को मंजूरी देने से पहले बैंकर उद्यमी मित्र पोर्टल में उधारकर्ताओं को पंजीकृत कराने में पहले ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
डॉ. ए. मित्रा ने सुझाव दिया कि संशोधित लक्ष्य पर चर्चा करने और बैंकरों के साथ बीजीवीबी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करने और इसके लिए समाधान तलाशने के लिए जल्द ही एक उप-समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

(कार्रवाई: एमएसएमई विभाग और सदस्य बैंक)

<u>2. कारीगर क्रेडिट कार्ड और बुनकर क्रेडिट कार्ड:</u>

डॉ. अमित मित्रा ने एसीसी और डब्ल्यूसीसी के अंतर्गत उच्च अस्वीकृति दर के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात में प्रकाश डालते हुए कहा कि अस्वीकृतियाँ अतार्किक आधार पर हो रही हैं और सदस्य बैंकों से ऐसी अस्वीकृतियों का आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया गया । श्री ए.के. गोयल ने उत्तर देते हुए कहा कि एसएलबीसी द्वारा समय-समय पर डेटा का संग्रह और उसका विश्लेषण करने के साथ-साथ इसकी निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि अस्वीकृति के प्रमुख कारण कम सिबिल स्कोर और उच्च अपराध अनुपात है। डॉ. ए. मित्रा ने कहा कि उच्च अस्वीकृति दर को कम करने और गुणवत्ता प्रस्तावों को प्रायोजित करने के लिए संभावित समाधान खोजने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार डीएम और एसीएस के साथ बातचीत करेगी ।

(कार्रवाई: सदस्य बैंक)

पंजाब नेशनल बैंक SLBC WEST BENGAL PUNJAB NATIONAL BANK

<u>3. पश्चिम बंगाल भविष्यत क्रेडिट कार्ड (WBBCC)</u>

डॉ. ए. मित्रा ने नई फ्लैगशिप योजना यानी पश्चिम बंगाल भविष्यत क्रेडिट कार्ड (WBBCC) के धीमे और सुस्त प्रदर्शन पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा हालांकि यह योजना 100% गारंटी कवरेज के साथ एक प्रगतिशील स्वरोजगार सृजन योजना है, फिर भी इसकी शुरुआत प्रत्याशित नहीं हुई । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीएस में डब्ल्यूबीबीसी कोड का फ्लैगिंग अभी भी कुछ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लंबित है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मंजूरी के संदर्भ में संवितरण नगण्य है। उन्होंने डॉ. एम. पंत से सदस्य बैंकों के साथ मामले को तत्काल आधार पर उठाने का अनुरोध किया।

डॉ. एम. पंत ने अवगत कराया कि हाल ही में आयोजित बैठक में सदस्य बैंकों के साथ मुद्दों को पहले ही उठाया जा चुका है। उन्होंने जिन बैंकों की ऑनबोर्डिंग लंबित थी उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी प्रक्रिया में तेजी लाएं और अन्य बैंकों को 30.06.2023 तक औपचारिक मंजूरी पूरी करने और वितरण शुरू करने की सलाह दी।

(कार्रवाई: एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सभी सदस्य बैंक)

<u>4. स्वयं सहायता समूह</u>

डॉक्टर ए. मित्रा ने इस वित्त वर्ष के दौरान स्वयं सहायता समूह को वितरित ऋण की संख्या के मामले में लक्ष्य का 134% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर के स्वयं सहायता समूह के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु सभी सदस्य बैंको को बधाई दी। उन्होंने वितरित कुल राशि पर चिंता व्यक्त की, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है, हालांकि स्वयं सहायता समूह को वितरित ऋण की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल अपेक्षाकृत शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने सभा से वितरित कुल राशि पर विशेष ध्यान देने के साथ –साथ आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्रेडिट लिंकेज लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया।

स्वयं सहायता समूह-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारे राज्य के समग्र प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए, **श्री विभु गोयल, एस.एम.डी और सीईओ डब्ल्यू.बी.एस.आर.एल.एम** ने सभा को बताया कि माननीय मुख्य सचिव के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य 25000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। श्री प्रदीप कुमार मजूमदार ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य काफी मामूली है और लक्ष्य को बढ़ाने कि पर्याप्त गुंजाइश है । उन्होंने सभा को अवगत कराया कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्वयं सहायता समूह को मिली गति को देखते हुए सरकार ने कुशल और अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर और उनके विकास और आजीविका के लिए नए अवसर पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करते हुए उन्हें बाज़ार से जोड़ने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इसलिए ,उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने क्रेडिट लिंकेज के संदर्भ में 30000 करोड़ रुपये का लक्ष्य एवं वर्ष 2023-24 में वितरित कुल राशि को 2.18 लाख रूपए बढ़ाकर 3.50 लाख रूपए करने का सुझाव दिया। उन्होंने बैंको से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में मदद करने का आग्रह किया, जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। सभा सहित, डॉ. ए.मित्रा, श्रीमती सी. भट्टाचार्य, एवं श्री ए. के गोयल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित नये लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।

श्री एम.धर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 9 लाख क्रेडिट लिंकेज किए गए थे और वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 10 लाख क्रेडिट लिंकेज किए जाने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल स्वरोजगार निगम के एम.डी श्री नारायण चंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के 2 लाख पुरुष स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य में से 90% का गठन हो चुका है परंतु स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने का

SLBC WEST BENGAL PUNJAB NATIONAL BANK

कार्य अपेक्षानुरूप नहीं है । उन्होंने बैंको से पारंपरिक महिला स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने के बारे में अपनी संबंधित शाखाओं को उचित निर्देश देने का आग्रह किया।

(कार्रवाई: सदस्य बैंक)

5. पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यूबीएससीसी):

डॉ. ए मित्रा ने डब्ल्यूबीएससीसी योजना के तहत प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कम वितरण प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदस्य बैंकों से कारणों का विश्लेषण करने और योजना के तहत संवितरण में वृद्धि करने का अनुरोध किया। श्री एम.धर ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदनों की कुल संख्या 61000 है, जिनमें से 51000 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं, लेकिन स्वीकृत मामलों में से केवल 58% को ही ऋण वितरित किया गया है। पोर्टल पर संवितरित डेटा अपलोड न करना भी संवितरण प्रतिशत के कम प्रतिबिंबित होने का एक प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने सदस्य बैंकों से समयबद्ध तरीके से डेटा अपलोड करने का आग्रह किया।

श्री एम. पंत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कम संवितरण आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख कारण समय पर संवितरण की कमी है, जिससे छात्रों में ऋण लेने में दिलचस्पी कम हो जाती है। उन्होंने सदस्य बैंकों से अनिच्छुक छात्रों से लिखित में लेने और उसे एचईडी को भेजने का अनुरोध किया। श्रीमती सी. भट्टाचार्य ने यह उल्लेख करते हुए कि डब्ल्यूबीएससीसी एक ऐसी योजना है जिसकी पूर्ण गारंटी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, तो इसका समय पर वितरण किया जाना आवश्यक है, बैंकों से योजना के तहत स्वीकृत ऋणों का उचित समय पर वितरण पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया।

श्री ए.के. गोयल ने सभी सदस्य बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी शाखाओं से संपर्क करें और 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत ऋणों के वितरण न होने के कारणों का पता लगाएं।

डॉ. ए. मित्रा ने डॉ. एम. पंत से इस मामले को सदस्य बैंकों के साथ तत्काल आधार पर उठाने का अनुरोध किया। डॉ. एम. पंत ने उक्त सुझाव पर सहमति जताई और मुद्दों के समाधान के लिए बैंकों के साथ बैठक करने की प्रतिबद्धता जताई|

(कार्रवाई: सदस्य बैंक और उच्च शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार)

6. कृषि और केसीसी:

डॉ. ए. मित्रा ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 97261 करोड़ रुपये के एसीपी लक्ष्य में से 80469.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो लक्ष्य का 83% था और लक्ष्य प्राप्ति के मामले में 17% की कमी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सक्रिय केसीसी उधारकर्ता 39 लाख हैं और 35 लाख के मामूली लक्ष्य में से 27.29 लाख उधारकर्ताओं को वित्तपोषण अपेक्षित स्तर से काफी कम है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जब पूरे देश में कृषि के बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है और सरकार भी उस पर जोर दे रही है, तो ऐसे में एआईएफ के तहत 1141 प्रस्तावों को मंजूर करना अपेक्षानुरूप नहीं है। उन्होंने ऐसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिन पर बैंकरों को काबू पाना चाहिए, उनमें लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि, एआईएफ का लाभ उठाना और एफपीओ की सहायता करना शामिल है।

श्री पी.के. मजूमदार ने इस बात पर प्रकाश डाला, "म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत पंजीकरण प्राप्त करने वाले वर्गीकृत सीमांत किसानों की संख्या में वृद्धि के साथ, सीमांत किसानों की वर्तमान संख्या 98 लाख हो गई है। इन 98 लाख में से केवल 27.29 लाख किसानों को केसीसी का लाभ मिला है, जो वांछनीय स्तर से कम है। उन्होंने सदस्य बैंकों से सीमांत किसानों को वित्त पोषण के माध्यम से मदद करने का अनुरोध किया, जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

SLBC WEST BENGAL PUNJAB NATIONAL BANK

श्री ओंकार सिंह मीना, प्रमुख सचिव, कृषि ने बताया कि कुछ प्रमुख बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत कृषि ऋण में 60% का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे जबकि आरआरबी एसीपी लक्ष्य का केवल 50% ही प्राप्त कर सके । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि हमारे राज्य में फसल ऋण का वितरण राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, फिर भी सावधि ऋण के वितरण के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष तीन राज्यों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि फसल उत्पादन में विविधता आ रही है और हालांकि हुगली, बांकुड़ा और कूचबिहार जैसे जिले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपार संभावनाओं वाले नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण बैंक शाखाओं की पहुंच कम होना है। उन्होंने कृषि संबद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें पिछले 3 वर्षों में लगभग 33000 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआईएफ के तहत अच्छी गुंजाइश है और बैंकों से, लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे सभी पात्र प्रस्तावों को एआईएफ के तहत परिवर्तित करने का अनुरोध किया।

डॉ. ए मित्रा ने विभाग को उन जिलों की पहचान करने का सुझाव दिया जहां फसलों का विविधीकरण हो सकता है और नए क्षेत्रों में वित्त पोषण की संभावना की तलाश की सकती है। साथ ही उन्होंने सदस्य बैंकों को नये बाजार पर पकड़ बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सामूहिक प्रयास किए जाने पर आशा व्यक्त की जिससे राज्य में व्यापक विकास होगा।

(कार्रवाई: कृषि विभाग और सदस्य बैंक)

7. पशुपालन एवं मत्स्य पालन:

एआरडी विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव श्रीमती जॉयशी दासगुप्ता ने विशेष रूप से दर्शाया कि 14389 स्वीकृत मामलों में से 13469 मामले में रु. 100.84 करोड़ संवितरित किया जा चुका था और आगे सूचित किया कि लंबित मामलों का निपटान 30.06.2023 तक किया जाना है। श्री ए.के. गोयल ने लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण तारीख 15.07.2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। डॉ. ए. मित्रा ने इसे स्वीकार कर लिया।

डॉ. ए. मित्रा ने मत्स्य क्षेत्र को ब्लू सेक्टर के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं। श्री अवनींद्र सिंह, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुल 79243 प्रायोजित आवेदनों में से, केवल 17182 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 58% अस्वीकृत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सदस्य बैंकों के साथ हुई बैठक में उनसे उन आधारों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जिनके आधार पर योजना के तहत आवेदन अस्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे उच्च अस्वीकृति दर को रोकने में एवं गुणवत्तापूर्ण प्रस्तावों का विश्लेषण करने एवं उन्हें प्रायोजित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि अस्वीकृति का प्राथमिक कारण जल निकायों के एकाधिक स्वामित्व का होना एवं फिशिंग स्टॉक का बीमा न होना है, जिससे प्रस्तावों को मंजूरी देने में बैंकरों को झिझक हो रही है ।

डॉ. ए. मित्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल राज्य में कई झींगा निर्यातक कंपनियाँ बिना किसी परिभाषित सरकारी योजना के अपने दम पर काम कर रही हैं। उनकी राय थी कि सरकार और बैंकर दोनों द्वारा इस क्षेत्र पर थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित करने से राज्य को समुद्री खाद्य निर्यात में अग्रणी बनने में मदद मिल सकती है।

श्री. पी.के. मजूमदार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारा राज्य तटीय क्षेत्र पर है और बड़ी संख्या में ताजे जल निकायों के साथ, मत्स्य पालन निकट भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला क्षेत्र है । इसलिए उन्होंने सदस्य बैंकों से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

बाह्य वाणिज्यिक ऋण के संदर्भ में विदेशी आर्थिक सहायकों द्वारा वित्तपोषण का उल्लेख करते हुए, डॉ. ए. मित्रा ने सदस्य बैंकों से इस पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया । श्री आर. केसवन, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई ने

SLBC WEST BENGAL PUNJAB NATIONAL BANK

बताया कि बैंक इस तरह की श्रेणी के वित्त की सुविधा के लिए फेमा दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की दुविधा होने पर बैंकरों के साथ-साथ व्यक्तिगत उद्यमियों को भी समय-समय पर आरबीआई द्वारा सहायता प्रदान की गई ।

(कार्रवाई – सदस्य बैंक)

8. ऋण-जमा अनुपात:

डॉ. ए मित्रा ने राज्य के सभी जिलों का सीडी अनुपात 40% से ऊपर प्राप्त करने पर सभी बैंकों और एलडीएम को बधाई दी, जो न्यूनतम बेंचमार्क लक्ष्य से अधिक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य का सीडी अनुपात 31.03.2023 तक बढ़कर 63.10% हो गया है। सीडी अनुपात में वृद्धि के लिए उन्होंने कूचबिहार, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और मालदा के एलडीएम की सराहना की। एलडीएम पूर्व मेदिनीपुर, एलडीएम दक्षिण दिनाजपुर और एलडीएम बीरभूम से आगामी वित्त वर्ष में अपना सीडी अनुपात बढ़ाने का अनुरोध किया गया । उन्होंने आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही से ही इसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

डॉ. ए मित्रा ने हाल के दिनों में कोलकाता जिले के घटते सीडी अनुपात पर भी प्रकाश डाला। श्री एम. धर ने बताया कि इसका कारण बैंकों में शाखाओं का विलय और ऋण प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना है। व्यावसायिक आंकड़ों की रिपोर्टिंग बैंकों के संबंधित केंद्रीय कार्यालयों में की जा रही थी, जिसमें से अधिकतर राज्य में अवस्थित नहीं थे। डॉ. ए मित्रा ने रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का सुझाव दिया ताकि सही तस्वीर सामने आ सके।

(कार्रवाई: पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, कोलकाता के एलडीएम और सदस्य बैंक)

9. वित्तीय समावेशन:

डॉ. एम. पंत ने बताया कि ऐसे कई असेवित और अल्पसेवित क्षेत्र हैं जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीबीटी और वित्तीय समावेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सुविधा सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चूंकि बीसी और आईपीपीबी इमारती शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से उन बैंक रहित क्षेत्रों में इमारती शाखा खोलने की संभावनाएं तलाशने का अनुरोध किया।

(कार्रवाई:सदस्य बैंक)

अंत में यह बैठक एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री शिव शंकर सिंह द्वारा अध्यक्ष और अन्य सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई।

फ़िरोज़ हसनैन

फ़िरोज़ हसनैन

(मुख्य महाप्रबंधक और
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पश्चिम बंगाल के संयोजक)

पंजाब नेशनल बैंक ★ PUNJAB NATIONAL BANK ★ SLBC WEST BENGAL

पंजाब नेशनल बैंक ★ PUNJAB NATIONAL BANK ★ SLBC WEST BENGAL